राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर (म.प्र.)
फल अनुसंधान केंद्र, बैरसिया रोड, ईंटखेड़ी, भोपाल (म.प्र.)
मो. 9406517978

दिनांकः

कं/फ.अ.के./2025–26/

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,ग्वालियर
फल अनुसंधान केंद्र, ईंटखेड़ी, बैरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.)

निविदा सूचना

फल अनुसंधान केंद्र, ईंटखेड़ी, बैरसिया रोड, भोपाल में अमरूद, नीबूं, बेर एवं आवंला फसल वर्ष 2025–26 की निलामी हेतु दिनांक 25.08.2025 को सुबह 11 से 12 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक ठेकेदार दिनांक 21 एवं 22 अगस्त 2025 को समय 11 से 1.00 बजे तक आकर बागीचे का अवलोकन कर सकते है। निविदा प्रपत्र व निविदा की विस्तृत शर्ते www.rvskvv.net पर उपलब्ध हैं।

प्रभारी प्रक्षेत्र
फल अनुसंधान केंद्र,ईटखेड़ी

राजमाता विजयाराजे सिधिंया कृषि विश्व विद्यालय
कार्यालय फल अनुसंधान केन्द्र ईंटखेड़ी बैरसिया रोड, भोपाल

मो नं. 9617253054

कं/फ.अ.के./2025–26/183 दिनांक : 14/8/25

निविदा सूचना

सभी इच्छुक खरीददारों को सूचित किया जाता है कि फल अनुसंधान केन्द्र, ईंटखेड़ी, बैरसिया रोड भोपाल में अमरूद मुख्य बागीचा के साथ 5 बेर के पेड़ सम्मिलित फसल वर्ष 2025–26 एवं पाहरूआ बागीचा के साथ 18 नीबूं, 12 बेर एवं 15 आवंला के पेड़ सम्मिलित फसल वर्ष 2025–26 के विक्रय हेतु टेण्डर फल अनुसंधान केन्द्र, ईटखेड़ी में आमंत्रित किये जाते है। अमरूद मुख्य बागीचा फसल वर्ष 2025–26 एवं पाहरूआ बगीचा फसल वर्ष 2025–26 बगीचे का अवलोकन एवं आंकलन कार्यालयीन दिवस पर खरीददार स्वयं आकर दिनांक 21 एवं 22 अगस्त 2025 के बीच समय 11 से 1.00 बजे तक कर सकते है। इच्छुक खरीददार नीलामी में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 25.08.25 को फल अनुसंधान केन्द्र, ईटखेड़ी में समय सुबह 11 बजे उपस्थित रहकर टेण्डर फार्म खरीद सकते है एवं अपने–अपने भावपत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर 1:00 बजे तक जमा करना होगा। निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। टेण्डर दिनांक 25.08.25 को दोपहर 2 बजे अधिष्ठाता कृषि महविद्यालय,सीहोर द्वारा गठित उच्च स्तरीय नीलामी समिति के सामने खोले जावेगे। निविदा की शर्ते निम्न होगीः–

1. प्रत्येक टेण्डर प्रेषक को अमरूद मुख्य बागीचा फसल वर्ष 2025–26 हेतु अमानत राशि रू 50000/– एवं पाहरूआ बागीचा के फसल वर्ष 2025–26 के लिये 50,000/– की राशि अमानत राशि के रूप में निविदा के पूर्व नगद जमा करनी होगी। यह राशि टेण्डर प्रकिया पूर्ण होने के बाद पावती रसीद जमा करने के पर वापस दी जावेगी।
2. अधिकतम निविदा बोली की राशि स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार समिति को होगा।
3. किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न होने पर अधिष्ठाता, आर.ए.के. कृषि महाविद्यालय सीहोर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
4. समिति के आकंलन अनुसार सर्वाधिक राशि प्राप्त होने पर नेगोशियेशन नहीं किया जायेगा।
5. अगर आंकलन राशि से निविदा राशि कम प्राप्त होती है तब उच्च्तम राशि वाले ठेकेदार से नेगोशियेशन किया जायेगा।
6. उचित कीमत प्राप्त न होने पर नीलामी निरस्त की जा सकती है।
7. सर्वाधिक राशि होने पर जिस भी ठेकेदार को बागीचा नीलाम किया जावेगा उसकी अमानत राशि फसल अवधि समाप्त होने तक कार्यालय में जमा रहेगी। फसल अवधि के दौरान कार्यालय या प्रक्षेत्र की चल–अचल संपत्ति को ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार (पौधों की चोरी, क्षति, पाइप लाइन, विद्युत उपकरण, फार्म सामग्री व अन्य सामग्री में होने वाली क्षति या चोरी सम्मिलित है) की क्षति पहुचाने पर अमानत राशि से प्रतिपूर्ति कर अमानत राशि वापस की जावेगी।
8. स्वीकृत टेण्डर की पूरी रकम ठेकेदार को 48 घण्टे के अन्दर कार्यालय फल अनुसंधान केन्द्र, ईटखेड़ी में अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर द्वितीय स्थान वाले खरीददार को स्वीकृत टेण्डर की राशि (प्रथम स्थान वाले खरीददार की दर) पर क्रय करने का अवसर होगा। साथ ही प्रथम स्थान वाले ठेकेदार की अमानत राशि कार्यालय द्वारा जब्त करी ली जावेगी।
9. नीलामी की राशि RTGS के माध्यम से अथवा डी.डी. के द्वारा नियमानुसार प्रक्षेत्र के खाते में जमा करनी होगी एवं उसकी पावती कार्यालय में जमा करानी होगी।

10. अमरूद मुख्य बगीचा फसल वर्ष 2025–26 एवं पाहरूआ बगीचा फसल वर्ष 2025–26 तोड़ने की अंतिम तिथि 15.03.2025 तक ही रहेगी।

11. निविदा में निहीत फसल की चौकीदारी, रखरखाव, प्राकृतिक आपदा, कीट व्याधि या अन्य किसी भी नुकसान की जवाबदारी संस्था की नही होगी बल्कि स्वयं ठेकेदार की होगी एवं किसी भी प्रकार की छतिपूर्ति की राशि संस्था नही देगी। फल तुड़ाई के समय श्रमिकों के साथ हुई किसी भी तरह की दुर्घटना की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।

12. अमरूद के विभिन्न किस्मों के 2 क्विटंल फल मुख्य बागीचा एवं अमरूद के विभिन्न किस्मों के 1 क्विटंल फल पाहरूआ बगीचा से संस्था द्वारा परीक्षण एवं शोध कार्य हेतु ठेकेदार द्वारा आवश्यक रूप से इस कार्यालय को निःशुल्क समय–समय पर उपलब्ध कराने होगें।

13. अमरूद मुख्य बागीचा एवं अमरूद पाहरूआ बागीचा, नीबूं की गूटी काटने पर ठेकेदार कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी क्योंकि वृक्षों के संवर्धने हेतु पौध प्रवर्धन एक मुख्य कार्य है साथ ही अर्न्तवर्तीय फसलों की खेती करने पर भी ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार आपत्ति मान्य नही होगी।

14. ठेकेदार को अपने निवास का पूर्ण पता हेतु आधर कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करानी होगी जिससे उसके निवास का पता प्रमाणित हो सके। टेण्डर खुलने के पश्चात् 500 रूपये के स्टॉम्प पर ठेकेदार को इकरार नाम कार्यालय में जमा कराना होगा।

15. ठेकेदार को अलग से अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेना होगा।

16. ठेकेदार द्वारा कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों की जानकारी एवं उनका आधारकार्ड/परिचय पत्र की छायाप्रति कार्यालय में जमा करानी होगी।

प्रभारी प्रक्षेत्र
फल अनुसंधान केन्द्र, ईटखेड़ी

INCHARGE FARM
Fruit Research Station
Entkhedi-462038

क्रमांक/ फ.अ.के./2025–26/ दिनांक :

चस्पा 1. स्थानीय नोटिस बोर्ड

प्रभारी प्रक्षेत्र
फल अनुसंधान केन्द्र, ईटखेड़ी

INCHARGE FARM
Fruit Research Station
Entkhedi-462038